महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2019 / 1539-40 . दिनांक : 04.04.2019

सेवा में,

प्रबन्धक
ऋषि बाल महाविद्यालय,
पट्टी मौढ़ा, काँठ,
मुरादाबाद।

महोदय / महोदया,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक 01.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपने अपने पत्र के माध्यम से महाविद्यालय की नवगठित प्रबन्ध समिति के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया है। उक्त सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि संस्था ऋषि बाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति के चुनाव दिनांक 25.03.2019 को सम्पन्न हुए थे जिसमें श्री महीपाल सिंह पुत्र श्री घासीराम अध्यक्ष तथा श्रीमती सुधा रानी पत्नी श्री राम चरन सिंह प्रबन्धक / सचिव निर्वाचित हुए हैं। उक्त प्रबन्ध समिति के चुनाव में विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे।

अतः संस्था ऋषि बाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद की नवगठित प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(13) के अधीन कुलपति जी ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : प्राचार्य, ऋषि बाल महाविद्यालय, पट्टी मौढ़ा, काँठ, मुरादाबाद।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

63AD 972138

महर्षि बाल विद्यालय समिति मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2018-19

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 मुरादाबाद
31/12/18

ऋषि बाल विद्यालय समिति कांठ ग्राम पट्टी मौढा पो0 कांठ जिला मुरादाबाद की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष:—2018—2019

क0 सं0	नाम/ पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री रघुनाथ सिह	सौतियान, बिजनौर	अध्यक्ष	कृषि
2	अश्विनी कुमार पुत्र श्री रामचरन सिह	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	उपाध्यक्ष	कृषि
3	सुधा रानी पत्नी स्व0 श्री रामचरन सिह	मौ0 घोसीपुरा, पो0 व तह0 कांठ जिला मुरादाबाद	प्रबन्धक	गृहणी
4	श्रीमती मंजू रानी पत्नी श्री अश्वनी कुमार	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	उपप्रबन्धक	गृहणी
5	पूनम रानी पत्नी श्री नवनीत कुमार	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6	राजेन्द्र सिह पुत्र श्री कन्हई सिह	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	सदस्य	कृषि
7	हरचरन सिह पुत्र श्री कन्हई सिह	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	सदस्य	कृषि
8.	महीपाल सिह पुत्र श्री कन्हैया सिह	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	सदस्य	कृषि
9.	महीपाल सिह पुत्र श्री घासीराम	ग्राम हरगनपुर पो0 खास तह0 नगीना जिला बिजनौर	सदस्य	कृषि
10	लोकेन्द्र कुमार पुत्र श्री नवनीत कुमार	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	सदस्य	कृषि
11	नीरज कुमार पुत्र श्री नवनीत कुमार	घोसीपुरा, कांठ जिला मुरादाबाद	सदस्य	कृषि
12	सुनीता देवी पत्नी श्री महीपाल सिह	ग्राम हरगनपुर पो0 खास तह0 नगीना जिला बिजनौर	सदस्य	गृहणी

महीपाल सिंह सुधा रानी

Ashwani Kumar सुनीता देवी

P.R

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

नियमावली

संस्था का नाम– ऋषि बाल महाविद्यालय

संस्था का पता– ग्रा0– पटटी मौढ़ा पो0 कॉठ जिला मुरादाबाद।

मुख्य कार्यालय– ऋषि बाल महाविद्यालय पटटी मौढा कॉठ मुरादाबाद।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

1– गठन– संस्था के कार्यो के प्रबन्ध तथा संचालन का अधिकार प्रबन्ध समिति को होगा प्रबन्ध समिति में पदेन एवम् मनोनीत सदस्यों सहित 12 सदस्य होगे।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति में निम्न पदाधिकारी होगे।

क– अध्यक्ष ख– उपाध्यक्ष ग– प्रबन्धक घ– उपप्रबन्धक ङ– कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष/प्रबन्धक व तीन सदस्य बाकि विश्वविद्यालय के नियमानुसार पदेन सदस्य होगे।

2– बैठक– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की वर्ष में एक बैठक बुलायी जाएगी।

3– सूचना – प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति को बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले नोटिस भेजा जायेगा। यह बैठक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के परामर्श से प्रबन्धक द्वारा बुलायी जायेगी परन्तु आपातकालीन बैठक 24 घण्टे के नोटिस पर अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के परामर्श पर प्रबन्धक द्वारा बुलायी जायेगी।

4– गणपूर्ति– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक हेतु 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

5– रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष व प्रबन्धक के पदों को छोडकर शेष रिक्त पदो की पूर्ति शेष कार्यकाल के लिए 11.05 का समावेश करते हुए कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों द्वारा की जायगी।

6. प्रबन्धक कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य – आय व्यय पर नियन्त्रण रखना, व्यय का बजट का क्रय आदि करना साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन/अनुमोदन करना 1 वर्ष में एक बार हिसाब –किताब एवं रिपोट कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आदि।

7. कार्यकाल– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा विश्वविद्यालय नियमानुसार होगा।

सुधा रानी

प्रबन्धक

ऋषि बाल महाविद्यालय

निलम्बन/अनुमोदन करना 1 वर्ष में एक बार हिसाब –किताब एवं रिर्पोट कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आदि।

7. कार्यकाल– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा विश्वविद्यालय नियमानुसार होगा।

8. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्य – प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार है।

(क) अध्यक्षः– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक में सभापति होगा। तथा किसी भी प्रकार है की बैठक अध्यक्ष के परामर्श /निर्देश पर होगी।

(ख)उपाध्यक्षः– अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों को पूर्ण करेगा, तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों व उनके अधिकारों को वहन करेगा।

(ग):– प्रबन्धकः– 1 प्रबन्धक प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होगा जो कार्यकारिणी समिति के फैसलों का अमल में लाने के लिए प्रतिदिन संस्था के प्रबन्धन की देखभाल का जिम्मेदार होगा।

2– संस्था की समस्त गतिविधियों का संचालन केवल प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

3– संस्था के समस्त अभिलेखों की देखभाल एवं आय-व्यय का संचालन केवल प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

4– प्रबन्धक को अधिकार होगा कि वह एक समय में इतनी धनराशि अपने पास सुरक्षित रखेगा जो कार्यकारिणी समिति द्वारा समय – समय पर व्यय की जायेगी। तथा व्यय की गई धनराशि की रिर्पोट प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा।

5– प्रबन्धक संस्था द्वारा चलाये जा रहे कियाकलापों से समय– समय पर अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का अवगत करायेगा।

6– संस्था के प्राचार्य द्वारा संस्था के प्रतिदिन के कियाकलापों एवं अभिलेखों से केवल प्रबन्धक का अवगत करायेगा।

7– प्रबन्धक प्रत्येक वर्ष संस्था के कार्यप्रगति की वार्षिक रिर्पोट तैयार करेगा और कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा।

8– प्रबन्धक द्वारा संस्था के क्रियाकलापों एवं आर्थिक रिर्पोट केवल प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की मीटिंग में ही प्रस्तुत की जायेगी जो प्रबन्धक द्वारा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की अनुमति से बुलायी जाएगी।

9. प्रबन्धक द्वारा शासन के नियम 11.05 का समावेश प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति में किया जायेगा किसी भी दशा में इसकी अवहेलना नही की जायेगी।

प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के संविधान के धारा 37 तथा 49 (ड) में यह व्यवस्था होगी कि–

क– महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतन्त्र का पदेन सदस्य होगा।

ख– प्रबन्धतन्त्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक है जिसमें प्राचार्य भी है।

ग– अध्यापक खण्ड ख में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोडकर ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य है।

गग– प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य महाविद्यालय तृतीय वर्ग के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों मे से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।

घ. खण्ड ग के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतन्त्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होगे।

ड– उक्त संविधान में कुलपति को पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

च– यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नियुक्त अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने की हकदार है या प्रबन्धतंत्र वैध रूप से गठित है या नही तो कुलपति का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

NOTARY PUBLIC
Advocate Notary
Exp. Dt. 12.12.2019
Teh. Kanth, Distt. Moradabad
OF INDIA

छ– महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनेल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसायटी न्यास बोर्ड या मूल निकाए के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो रखने के लिये तैयार है।

10. प्रबन्धक वेतनभोगी कर्मचारियों के वतन बिल स्वीकृत करना एवं भुगतान करना तथा प्राचार्य से मासिक हिसाब लेगा।

11. प्रबन्धक द्वारा शासन /विश्वविद्यालय स्तर से समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। किसी भी दशा में उनकी अवहेला नही की जायेगी।

12 .किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा जो सर्वमान्य होगा। कानूनी विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

(घ). उपप्रबन्धक – प्रबन्धक के निर्देशों /अनुपस्थिति में उसके अधिकार एवं कर्तव्यों का

सुधा रानी

प्रबन्धक

ऋषि बाल महाविद्यालय

पूर्ण रूपसे निर्वहन करेगा।

(ड) कोषाध्यक्ष:— प्रबन्धक / अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार संस्था की प्रगति हेतु कोष की व्यवस्था करना एवं उसका लेखा— जोखा का हिसाब रखना।

अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष में से किसी एक तथा प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से संस्था के खातों का संचालन किया जायेगा।

9— संस्था का लेखा—जोखा — (क) संस्था का एकाउण्ट किसी भी सरकारी / गैर—सरकारी / ग्रामीण बैंक / डाकघर आदि में से किसी में भी खोला जा सकता है।

(ख)— अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष में से किसी एक तथा प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से संस्था के खातों का संचालन किया जायेगा।

10— अपील— संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार की अपील कार्यकारिणी समिति में की जायेगी तथा कार्यकारिणी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

11— प्रबन्ध कार्यकारिणी के अभिलेख— कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बैंक पास बुक आदि मुख्य कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

12 प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति / संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व —

(क) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति / संस्था से सम्बन्धित या उसके विरुद्ध सभी कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक / अध्यक्ष के नाम से होगी।

(ख)— प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति / संस्था से सम्बन्धित कोई भी निष्पादित कानूनी दस्तावेज समिति के नाम से होगा।

13— प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति / संस्था के प्राप्त धन की सुरक्षा एवं वापसी की जिम्मेदारी —

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति / संस्था के जो भी ऋण तथा अनुदान भारत सरकार के बैंकों से समाज आदि से प्राप्त करेगी या अन्य स्त्रोत से प्राप्त करेगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी व समय से अदायगी की जिम्मेदारी प्रबन्धक तथ अध्यक्ष पर होगी जिसमें प्रबन्ध समिति व सदस्यों की सहमति होगी।

सुधा रानी
प्रबन्धक
ऋषि बाल महाविद्यालय
एन्टी मौढ़ा कॉठ (मुरादाबाद)

Attested
R. K. Singh
R. K. Singh
Advocate (Notary Public)
R.No.-10811.
Expiry Date 12-12-2019
Tehsil Kanth (Moradabad)
30 3 2019

NOTARY PUBLIC ... Tel. Kanth Distt. Moradabad ... GOVT. OF INDIA